

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश
का0आ0सं0:- 220 पटना, दिनांक:- 14/7/10
ग्रा0वि0 1स्था0(रा0प0/सूचना)-32/2006 (पार्ट)

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के तहत विभाग का अपील सुनने के लिए श्री श्री कृष्ण त्रिपाठी, बि0प्र0से0, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अपीलीय प्राधिकारी नामित किया जाता है।

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
3. प्रधान सचिव की अनुमति प्राप्त है।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- सचिव-सह-निबंधक, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, चौथा तल्ला, बिहार, पटना/महानिदेशक, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 7626 पटना, दिनांक:- 14/7/10

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को राज्य से प्रकाशित होने वाले चार दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन करने हेतु सी0डी0 सहित संलग्न कर भेजा जा रहा है।

सरकार के संयुक्त सचिव